4

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (36) ग्रावि/अनु–5/जीकेएन/ 2015–16 जयपुर दिनांक 9 नवम्बर, 2015

जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला परिषद समस्त राजस्थान।

विषयः– पंचायत समिति स्तरीय बाजार दर सर्वेक्षण एवं प्रस्तावक समिति में एक एक सरपंच व ग्राम सेवक के मनोनयन कराने के सम्बंध में।

प्रसंगः– विभागीय स्थाई आदेश संख्या– 20/2015 एव परिपत्र एफ– 27() ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/ 2015–16 दिनांक 9.10.2015

ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 2015 के बिन्दु संख्या–द 9.5 में वर्णित पंचायत समिति स्तरीय बाजार दर सर्वेक्षण एवं प्रस्तावक समिति द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति के अधिकारिता के भीतर विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं के माध्यम से सम्पादित कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए श्रम, सामग्री व उपकरण आदि की दर अनुसूची प्रस्तावित करनी है। विभागीय प्रासंगिक स्थाई आदेश संख्या– 20/2015 के द्वारा इस समिति में एक सरपंच एवं एक ग्राम सेवक (कुल 2 सदस्य) विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थाई समिति की बैठक में लॉटरी के आधार पर चयन कर शामिल किये जाने है। प्रत्येक वर्ष रोटेशन के आधार पर लॉटरी निकाली जाकर उक्त समिति में सदस्यों का मनोनयन किया जाना है। विभागीय परिपत्र दिनांक 9.10.2015 द्वारा समस्त योजनाओं के निर्माण कार्यों हेतु नवीन दर मूल अनुसूची, सामग्री दरों का निर्धारण व निविदा निर्धारण हेतु समय सारणी जारी की गई है।

अतः उक्त सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पंचायत समिति स्तरीय बाजार दर सर्वेक्षण एव प्रस्तावक समिति वर्ष 2015–16 हेतु प्रत्येक पंचायत समिति में एक सरपंच एवं एक ग्राम सेवक का मनोनयन करने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 30.11.2015 तक पूर्ण कराकर विभागीय परिपत्र में वर्णित समय सारणी अनुसार वर्ष 2016–17 की दर अनुसूची तैयार कराने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

Enclosed - as above

9.11.15

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव , पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग।
6. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान
8. अधिशाषी अभियंता (अभि.) एवं सदस्य सचिव जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. अधिशाषी अभियंता (नरेगा) जिला परिषद समस्त राजस्थान।
10. सहायक प्रोग्रामर ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

K.K. Sharma
SE

D:\Suresh SE RD PC\SURESH PA 2014-15.docx